eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 07, Issue 02, July 2024

महिला एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

डा0 माया भारती[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय रजा पी0जी0 कालेज, रामपुर उ0प्र0

Received: 20 July 2024, Accepted: 28 July 2024, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2024

Abstract

भारतीय संदर्भ में महिलाओ की स्थिति का अवलोकन करे तो हम पाते है कि महिलाएं समाजिक अपवंचना का लम्बे समय तक शिकार रही है। महिलाओं के विकास के लिए आजादी के बाद से ही हमारा देश, राष्ट्रीय एंव अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक रूख अपनाया है। महिलाओं को सशक्त बनाने का भारतीय इतिहास सकारात्मक तथा समृद्व रहा है। प्रत्येक 8 मार्च को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर **महिला दिवस** मनाया जाता है। महिलाओं के लिए समानता तथा सशक्तिकरण आज वैश्विक मुददा बनता जा रहा है।.समय–समय बहुतेरे वैश्विक सम्मेलन, महिलाओ की स्थिति को सुधारने के लिए तथा उन्हे सशक्त बनाने के लिए हुए है। भारत सरकार द्वारा भी अनेको नीतियो कार्यक्रम, योजनाओ, और कानूनो के माध्यम से महिलाओ का सशक्तिकरण कर उन्हे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओ पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए **घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को पारित कर कानून बनाया गया है जो** महिलाओं की घरेलू परिदृश्य में किसी भी प्रताड.ना पर रोक लगाता हैं। इस अधिनियम में महिलाओ को वास्तविक प्रताड़ना या प्रताड़ित करने की धमकी देना, दोनो सम्मिलित हैं। **इसमें दैहिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, व आर्थिक प्रताडना भी** सम्मिलित है। साथ ही महिला या उसके परिवार से दहेज की गैर कानूनी मांग को भी इस अधिनियम में निहित किया गया है। बावजूद इसके महिलाओ की स्थिति अभी भी दयनीय है। जरूरत है समाजिक सोच, महिलाओं के प्रति और अधिक सकारात्मक और मानवीय हो तथा महिलाओ से स़बधित, कानूनी एवं योजनागत प्रावधानो के कियान्वयन को सुदृढतम तरीके से सम्पादित किया जाए।

शब्द संक्षेप– सशक्तिकरण, प्रताडना, भावनात्मक, सहत्राब्दि विकास लक्ष्य, संवैधानिक, उग्रनारीवादी, जेन्डर, समकालीन विमर्श, मार्क्सवादी, यौन उत्पीड़न

Introduction

जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नही होगा तब तक विश्व कल्याण नही हो सकता। किसी भी पक्षी का एक पंख से उड़ना संभव नही है।– स्वामी विवेकानन्द

महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण समकालीन विमर्श है। महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषो के बराबर वैधानिक राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता है। अर्थात महिलाओ में इस प्रकार क्षमता का विकास जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह अपनी इच्छानुसार कर सके। **सेन और बटलीवाला (2000)** के अनुसार सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शक्तीविहिन व्यक्तिशक्ति संपन्न होने का प्रयास करता है ताकि संसाधन तथा विचारधारा को नियत्रित कर सके। **विश्व बैक 2004 के** अनुसार सशक्तीकरण

व्यक्ति या समूह की क्षमता का बढाना है ताकि वह अपनी इचछानुसार से कार्यो को चुने और संपादित कर सके।[1]

महिला सशक्तिकरण– सशक्तिकरण के संबध को विश्लेषित करे तो इसमे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सशक्त नही करता, सशक्तिकरण कोई वस्तु नही है जो जन साधारण को उठाकर दे दी जाए, सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी । व्यक्ति के समूह से जुडाव के कारण उसकी जानकारी एंव ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्वि होती है। तथा अपने को संगठित कर अपने जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिर्वतन लाने की क्षमता भी जाग्रत होती है।[2]

महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय मचों पर समय–समय पर उठाने की कोशिश की गई। वैश्विक स्तर पर चार विश्व (ग्लोबल) महिला सम्मेलन हो चुके है। पहला ग्लोबल सम्मेलन मैक्सिको **में 1975 में हुआ था। जिसमे महिला मुद्दो को एक सषक्त रूप से उठाया गया। कोपेनहेगेन** मे दूसरा ग्लोबल सम्मेलन **1980 में हुआ था। तीसरा** ग्लोबल सम्मेलन **1985 में नैरोबी में हुआ था। नैरोबी 1985** में भी महिला अधिकारो की बात कही गई।ये अधिकार **वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, समाजिक एंव आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एंव राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में निर्णय लेने की स्वातंत्रता से सम्बधित है।**[3]**चौथा** ग्लोबल सम्मेलन **1995 में बीजिंग में हुआ था। बीजिगं सम्मेलन** में 38 अनुच्छेद पारित हुए थे।[4]इस सम्मेलन के अर्न्तगत महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया, तथा पिछले तीन वैश्विक सम्मेलनो में हुए राजनैतिक समझौतो को आगे बढाया गया ।

“empowerment and their full participation on the basis of equality in all spherers of society **including participation in decision making process and access to power are fundamental for the achievement of equality development and peace,,**

वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण के इन चारो विश्व (ग्लोबल) महिला सम्मेलनो के बाद अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा **पाचँ वर्षीय समीक्षाओ की एक श्रृंखला आयोजित की गई। जो कमशः सन् 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 में सम्पन्न हुई।** इन सभी वार्षिक समीक्षाओ में महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार, महिला समानता एवं स्वतंत्रता, महिला स्वास्थ्य आदि मुददो पर सहमति बनाकर लागू करने का प्रयास किया गया। विभिन्न सम्मेलन में भी महिला सशक्तिकरण की बात उठाई गई। जिसमें मुख्यत; **सहत्राब्दि विकास लक्ष्य एवं वियना सम्मेलन 1993 भी है। सहत्राब्दि विकास** लक्ष्यो में ***भूखमरी तथा गरीबी*** को कम करना, सार्वजनिक प्रारम्भिक **शिक्षा**, शिशु मत्युदर को कम करना, *मातृत्व स्वास्थ्य को बढावा देना,* आदि बाते शामिल हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएन. वूमेन एक सेल की स्थापना भी हुई है। तथा **वियना सम्मेलन 1993 में** विष्व मानववधिकार

---

[1]एस,एम, जावेद अख्तर,'भारत में महिला सशक्तीकरण के विविध आयाम ,ड़ीप एड ड़ीप पब्लिकेशन नई दिल्ली पेज सख्या–97

[2] मुखर्जी डा. नन्दनी 2012, 'महिला सशक्तीकरण भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में' संपादित किताब 'महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम,अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूर्स नई दिल्ली पृ. संख्या–231

[3]श्रीवास्तव अमरेन्द्र कुमार (2012) ''भरतीय संविधान और कानून द्वारा महिला सशक्तीकरण के प्रयास' संपादित,महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स पृ.संख्या1 पृ. 73

[4]मेहरोत्रा ममता 2014,महिला अधिकार, राधा कृष्णा प्रकाशन प्रा. लि. दरियाग्रज नई दिल्ली, पृ. संख्या–30

सम्मेलन के दौरान महिला तथा बालिका अधिकार को एक अभेद्य, अभिभाज्य, सम्पुर्ण तथा सर्वव्यापी अधिकार माना गया।[5]

महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हुए समय—समय पर अनेक सिद्वान्त विकसित हुए। जिनमें कुछ प्रमुख सिद्वान्त निम्न है—

उदारवादी नारीवादी सिद्वान्त —उदारवादी नारीवादी परिपेक्ष्य ने आजादी और समानता के **जनतांत्रिक मूल्यों और औरत की अधीनता के बीच के अंतर विरोध को रेखाकिंत** किया है। **जें.एस.मिल** ने अपनी किताब **'सब्जेक्शन आफ वूमेन'** में महिला अधिकारो तथा मताधिकारो की खुलकर वकालत की है। इस किताब में काम और परिवार की पारंपरिक कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाया। इनके अनुसार ये कार्य प्रणाली न केवल महिलाओं को घर तक सीमित तथा प्रतिबंधित करते है, बल्कि चयन के अधिकार से भी वंचित करते है। मिल तथा **वेल्स्टोनक्राफट दोनो** ने यह मुद्‌दा उठाया कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित करने का कोई तार्किक आधार नही है। इनका मनना है कि स्त्रियोचित गुण सामाजिक परिवेष में रच बस जाते है । महिलाएं मानव जाति की सदस्य होने के नाते निर्णय लेने में समक्ष है।[6]

समाजवादी / मार्क्सवादी सिद्धान्त— समाजवादी और मार्क्सवादी दोनो विचारधाएं महिलाओं के शोाषण के लिए उत्पादन के स्वरूप में हुए परिर्वतन को जिम्मेदार मानते है। इनके अनुसार प्रारम्भिक समाजो में उत्पादन के साधन जटिल नही थे , महिला और पुरूष कृषि कार्यो का सम्पादन करते थे और दोनो इसका लाभ लेते थे। परन्तु''**औद्योगिक पूजीवाद के उदय के साथ पुरूष घरो के बाहर मजदूरी की अर्थव्यवस्था में शामिल होते गए और महिलाएं घरो तक सीमित होती गई। महिलाओं की पुरू**षो **के उपर निर्भरता बढती गई** महिलाओं की स्थिति पारिवारिक जिम्मेदारी तक ही सीमित हो गई**, वही मार्क्सवादियों** ने शोषण, अलगाव और वर्ग जैसी धारणाओं से भी महिलाओं की स्थिति तथा विभिन्न संस्थाओं में सहभागिता को समझाने का प्रयास किया हैं। एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'परिवार, व्यक्तिगत संपति एंव राज्य की उत्पति' में बताया है कि जब तक घरेलू कार्यो को छोड़कर महिलाएं घर के बाहर के कार्यो में नही आयेगी तब तक इनकी मुक्ति संभव नही है।

पर्यावरण नारीवादी सिद्वान्त—इस सिद्वान्त के सर्मथक, महिला तथा पर्यावरण दोनो को पर्याय मानते है। तथा इन दोनो के शोाषण में प्रभुत्व की भावना को देखते है। जिसके लिए पुरूष को जिम्मेंदार होता है।[7]

उग्रनारीवादी सिद्वान्त— इसकी जड़ में पितृसत्तात्मक सोच तथा प्रभुत्व की भावना है। इस सिद्वान्त का उद्‌देश्य लिंग पर आधरित तमाम विभेदो को उद्‌घटित करना है, जो न केवल कानून एवं रोजगार क्षेत्रो तक है बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत संबधो तक भी है। इसका दायरा घर, बिस्तर और अपने स्ंवय आत्मसात धारणाओ तक भी फैला है। यह सिद्वान्त पुरूष मूल्यो को चुनौती देता है तथा

---

[5]मेहरोत्रा ममता 2014,महिला अधिकार,राधा कृष्ण प्रकाशन प्रा. लि. दरियागंज नई दिल्ली, पृ. संख्या—37

[6]मेनन निवेदिता और आर्य साधना 2013, नारीवादी राजनीति, संघर्ष एव मुद्‌दे केवेलही लाइन, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. संख्या—24

[7]मेनन निवेदिता और आर्य साधना 2013, नारीवादी राजनीति, संघर्ष एव मुद्‌दे केवेलही लाइन, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पृ. संख्या—30

महिलाओं द्वारा पुरूषो के अनुसरण पर रोक लगाता है, यह सिद्वान्त महिलाओं की पारंपरिक संस्कृति पर आधरित नए मूल्यों का सृजन चाहता है। यह नारी संस्कृति के उन सभी पहलुओ का निषेध करता है जो महिलाओं को पराधीन रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसे–**आत्मत्याग, अर्कमण्यता, भावुकता** आदि

साइमन डी बुआ के अनुसार 'महिला पैदा नही होती बल्कि उसे बना दिया जाता हैं। नारीवादी इन विचारको के अनुसार सेक्स लिंग एक बायोलोजिकल डिटरमीनेशन है। लेंकिन हमारा समाज उसे जेंडर रूप में परिणित कर देता है। नारीवादियों ने **लिंग तथा जेन्डर** को विश्लेषित किया है। इनके अनुसार सेक्स शब्द पुरूष और स्त्री के बीच एक **जैविक** अर्थ की तरफ इशारा करता है जबकि **जेंडर का ताल्लुक** उसके साथ गुथे **सांस्कृतिक** अर्थो से है।

जेन्डर का उदय किस प्रकार हुआ–समाज में जेन्डर बनाने वाले दो अलग–अलग आयाम है ।

1.–मानसिकता **2.**–शक्ति का विभाजन/बॅटवारा

मानव समाज में कही–कही किसी सामाजिक वर्ग में एक ऐसी मानसिकता होती हैं, जो यह तय करती है कि महिलाओं और पुरूषों में क्या–क्या सामाजिक अंतर होने चाहिए। यह मानसिकता कई कारणों से प्रभावित होती है जैसेः–धर्म, मानव व्यवहार, व्यवस्था, कानून, भौगोलिक क्षेत्रफल, मीडिया, बाजार परिस्थितिया, इत्यादि।[8] महिलाओं एंव पुरूषो के बीच अंतर को बनाये रखने के लिए षक्ति के बहुत सारे साधन है जैसेः–धन/सम्पति, जानकारी/ कार्यक्षमता/कार्यशक्ति, आदि। प्रत्येक व्यक्ति को साधन के स्वामित्व से ताकत मिलती है और यह ताकत अन्य साधनों तक पहुचॅ बढाती है। इनमें से अधिकांश संसाधनों पर का पुरूषो नियंत्रण है, इसीलिए सत्ता का स्वामित्व मुख्यतः पुरूषो के हाथों में रहा हैं ।

भारतीय संदर्भ – भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करे तो हम पाते हैं कि महिलाएं समाजिक अपवंचना का लम्बे समय तक शिकार रही है। महिलाओं के विकास के लिए आजादी के बाद से ही भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय एंव अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक रूख अपनाया है। भारत में महिलाओं को सषक्त बनाने का इतिहास सकारात्मक तथा समृद्व रहा है। प्रत्येक 8 मार्च को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर **महिला दिवस** मनाया जाता है। महिलाओं के समानता की बात तथा दासता की बेडियो से बाहर निकालने की बात का सर्मथन आज ग्लोबल मुदद्ा बनता जा रहा है।.महिलाओं स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत रही है।

महिला सशक्तीकरण के प्रयास–

राष्ट्रीय महिला नीति 1972 :–राष्ट्रीय महिला नीति का मुख्य लक्ष्य, महिलाओं की प्रगति एवं सम्पूर्ण महिला विकास हेतु अनुकूल आर्थिक एंव सामाजिक नीतियों का निर्धारण करते हुए समुचित वातावरण सृजित करना, जिससे महिलाएं अपने अन्दर विद्यमान क्षमताओं को उपयोग करने में सक्षम हो सके।

[8]शर्मा प्रेमनारायण (2011) गरीबी उन्मूलन एंव महिला संशकितकरण भारत बुक सेन्टर लखनऊ पेज संख्या–42

राष्ट्रीय महिला नीति 2001 :– सरकार द्धारा 2001 में लागू इसे लागू किया गया। इस महिला नीति का उद्देष्य महिलाओं की प्रगति को आगे बढाना तथा महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कर महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराना है।

राष्ट्रीय महिला नीति 2016 :–17 मई 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने महिला विकास के सन्र्दभ में इस नीति को पारित किया। जिसका लक्ष्य है कि महिलाओ का राजनीतिक उत्थान करना है। जिसमें उनके लिए ऐसा सामाजिक, आर्थिक वातावरण तैयार होगा, जिससे वे अपने मूल अधिकारो को प्राप्त कर सके। इसके अलावा इस नीति में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण को प्रमुख स्थान दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग :– महिलाओं की समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृति स्थिति को बेहतर करने हेतु 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। यह महिलाओं से जुड़े सभी मामलो की मानीटिरिंग करता है। मौजूदा कानूनो की समीक्षा करता है, [9]

महिलाओं का राजनीतिक तथा कानूनी सषक्तिकरण के प्रयास –महिला सशक्तीकरण का प्रमुख अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानो में महिलाओं की साझेदारी से है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भारतीय संविधान, जो 1950 में लागू हुआ। इस संविधान के प्रस्तावना में ही हमारे देश के सभी नागरिको के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया हैं। तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान किया गया है।[10] संविधान के विभिन्न अनुच्छेदो के माध्यम से यथा अनु–15, अनु.–15 (3)

अनु.–16, अनु.–21 एवं 23, अनु.–40, अनु–42, अनु.–47 एवं अनु.–51क (ड.)आदि प्रावधान किए गए है। 73वें एवं 74वे संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटे[11] आरक्षित करने का प्रावधान किया जिसका वर्णन अनुच्छेद 243(घ) में किया गया है। परन्तु आजादी के सत्तर दषक बाद भी महिलाओ का राजनीति के क्षेत्र में हिस्सेदारी काफी कम रही, यद्यपि महिलाओ की केन्द्र या राज्य के चुनाव मे बिजय होने की दर पुरूष से ज्यादा रही है। ***2014 के लोकसभा चुनाव में जहां महिला उम्मीदवारो के विजय होने की दर 9 प्रतिशत रही वही*** पुरूषो की दर ***6 प्रतिषत रही है/*** [12]**2014 के लोकसभा चुनाव में 62 महिलाओं ने जीत दर्ज की वही 2019 के लोकसभा में 78 महिला उम्मीदवार विजयी रहीं।**

महिला सशक्तिकरण हेतू नीतियॉ एंव कार्यक्रम :–हमारे सरकार द्वारा समय–समय पर कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों एवं योजनाआ के प्रावधान किये गये है जैसे कि–

---

[9]षर्मा ममता, ,योजना जून 2012, योजना भवन नई दिल्ली , पृ. स्रख्या–15

[10]राय प्रवीण 2017, वूमेन पार्टीशिपेषन इन इलेक्टोरल पोलिइिक्स इन इंडिया; साइलेन्अ फेमिनिज्म ,सेज प्रकाशन लंदन, पृ.स.ख्या 58–77

[11]सलगोनकर सीमा और संलगोनकर बी प्रदीप,पंचायत एंड़ वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ;अडरस्टैंड़िग सिम्बोलिसिस, इडि.यन पोलटिकल एसोसिएसन ,पृ.सख्या–481

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 07, Issue 02, July 2024

स्वावलम्बन योजनाः– [13]इसे महिला अर्थिक कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है।[14]इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मुख्यतः कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, मेडिकल ट्रांसिक्रिप्सन, टेलीविजन मरम्मत, हथकरघा एवं लिपिकीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है।

स्वाधार योजनाः – इस योजना के अन्तर्गत परिवार से अलग रह रही महिलाओं**,** जेल से मुक्त महिलाओं, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित महिलाओं, वैश्यालय से मुक्त कराई गई महिलाओं/लड़कियों आदि को सहायता प्रदान की जाती है।[15] इस योजना में भोजन, आवास, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी मदद और सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास की सुविधाएं। ***इसके अलावा कुछ प्रमुख योजनाओ में महिला पुलिस वालंटियर योजना 2016, प्राधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016, मातृवंदना योजना, उज्जवला योजना, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आदि।***

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न्न–कामकाजी महिलाओं के बढते़ हुये यौन उत्पीड़न को भी उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण मानकर समय–समय पर कई दिशा निर्देश जारी किये है। इस सम्बन्ध में **एपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल बनाम ए0के0 चोपड़ और विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** महत्वपूर्ण मामले हैं।

महत्वपूर्ण अधिनियम– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948–सरकार ने मजदूरी को बिना लिंग भेदभाव के प्रदान करने की बात की है तथा वेतन की न्यूनतम दर को किये गये काम के हिसाब से निश्चित किया गया है। वेतन की न्यूनतम दर आयु, काम के घंटे, दिन और महीनो के हिसाब से निष्चित किया जाता **है।**[16] *फैक्टरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, एसिड प्रिवेशन अधिनियम–1986 ,वेश्यावृति निवारण अधिनियम–1986 आदि, प्रावधानो में भी महिला अधिकार एवं सुरक्षा को सुनिषचित किया गया है।*

महिलाओं के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधानः–

- परिवार न्यायलय अधिनियम 1984
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
- बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
- सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2009
- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 आदि।

[13]श्रीवास्तव कुमार अमरेन्द्र 2012, ' भारतीय संविधान और कानून द्वारा महिला सषक्तीकरण के प्रयास'' संपादित किताब 'महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम,अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूर्स नई दिल्ली पृ. संख्या–76

[14]सारस्वत ऋतु ,योजना, अक्टूबर 2006, योजना भवन नई दिल्ली , पृ. स्रख्या–15

[15]श्रीवास्तव कुमार अमरेन्द्र 2012, ' भारतीय संविधान और कानून द्वारा महिला सषक्तीकरण के प्रयास' संपादित किताब 'महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयाम,अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूर्स नई दिल्ली पृ. संख्या–76

[16]शर्मा प्रेमनरायण और विनायक वाणी 2011,'गरीबी उन्नमूलन एवं महिला सशक्तीकरण' भारत बुक सेन्टर लखनउ पृं संख्या–91

इस प्रकार देखे तो सरकार ने विभिन्न योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानो,कानूनी प्रावधानो आदि के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने तथा उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश की है, वावजूद इसके महिलाओ की स्थिति अभी भी दयनीय है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनसीआरबी **छब्त्ठ** के अनुसार साल 2020 में बलात्कार के कुल 28046 केस र्दज हुए , जबकि साल 2019 में 32033 केस र्दज हुए। सन् 2021 में बलात्कार के कुल 31677 केस दर्ज हुए हैं।

सन 2021 के आकड़ो का विश्लेषण करे तो पाते है कि प्रति घटें औसत 86 केस कायम हो रहे है।, और इन आकड़ो के इतर बहुत सी ऐसी घटनाएं है जो दर्ज नही हो पाती है। इन आकड़ो में घरेलू हिंसा प्रमुंख है।

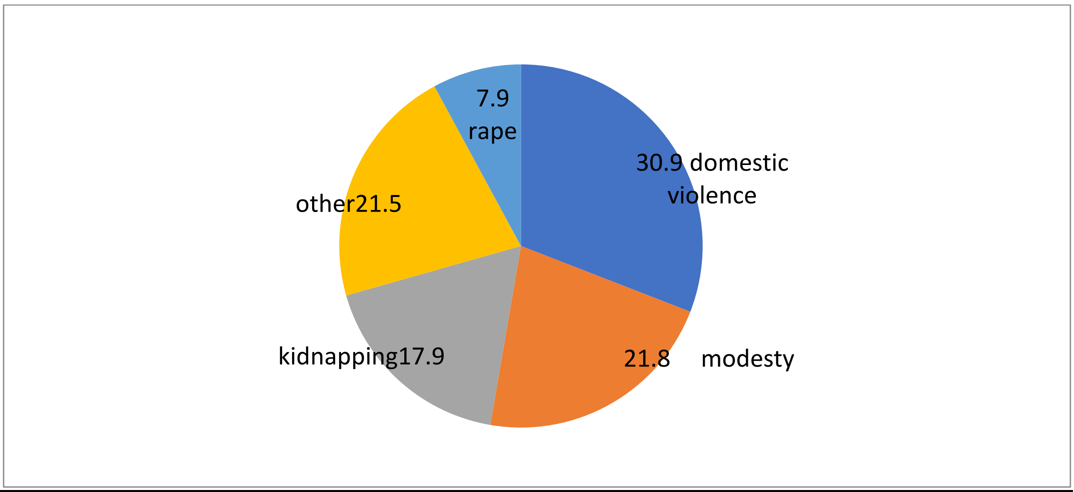

स्त्रोत– NCRB REPORT 2021

घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न विधेयक 2005–

घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक विधेयक संसद द्वारा साल 2005 के मानूसन सत्र में पारित किया गया। *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005* नाम के इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने सितम्बर 2005 में स्वीकृति प्रदान की[17]। यह अधिनियम महिलाओं की घरेलू परिदृष्य में किसी भी प्रताड.ना पर रोक लगाता हैं। इस अधिनियम में महिलाओ को वास्तविक प्रताड़ना या प्रताड़ित करने की धमकी देना, दोनो सम्मिलित हैं। **इसमें दैहिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, व आर्थिक प्रताड.ना सम्मिलित** है। साथ ही महिला या उसके परिवार से दहेज की गैर कानूनी मांग को भी इस अधिनियम में निहित किया गया है।

[17]भारत–2016 ,सूचना एव प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या–970

- दैहिक क्षति से अभिप्राय किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुचाना।
- ऐसा कोई भी कार्य करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या जीवन को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा करता हो।
- ऐसा कोई भी बल जो महिला के विकास को रोकता हो ।
- ऐसा कोई भी यौनिक व्यवहार कार्य करना जो महिला के गरिमा को खत्म करता हो।
- महिला के साथ अप्राकृतिक यौन संबध।
- महिला का अपमान, उपहास, तिरस्कार करना, विशेष रूप से उस दशा में जब बच्चे या संतान न हो, या लड़का या लड़की पैदा होने पर ताना देना।
- महिला से जुडााव रखने वाले व्यक्ति से दुर्व्यवहार करना आदि।
- महिला को आर्थिक क्षति पहुचाना।
- ऐसे सभी आर्थिक, वित्तीय संसाधन, जिसके लिए महिला किसी विधि/कानून या परम्परा/रूढि के अनुसार हकदार है, उसका प्रयोग न करने देना।
- ऐसी सम्पति जिस पर महिला पूर्णतः या आंषिक रूप से हकदार है, उसे महिला के गैर मौजूदगी में बेचना।
- किसी भी महिला को नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य करना, आदि बाते घरेलू हिंसा में आती हैं

इस प्रकार देखे तो हम पाते है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का बहुत व्यापक दायरा है। इस प्रावधान के माध्यम से महिलाओ को सुरक्षित तथा निर्भिक रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानो का विश्लेषण करे तो पाते है कि इस कानून के अन्तर्गत रिसपोन्डेन्ट ऐसा पुरूष या व्यक्ति हो सकता है जो महिला के घरेलू नातेदारी से हो या रहा हो। जिसके खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज की है। इस कानून के अर्न्तगत महिला केवल वयस्क पुरूष के खिलाफ ही शिकायत कर सकती है। महिला अपने से जुडे व्यक्ति, चाहे वह शादी से पहले का जुडाव हो या बाद का, शिकायत कर सकती है। घरेलूं हिसां की शिकायत पीडित महिला या उसके सगे सबंधी या कोई बाहरी भी कर सकता है।

घरेलू हिंसा को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी जिम्मेदार होते है।

संरक्षण अधिकारी – राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में आवश्यकता आुसार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। संरक्षण अधिकारी जहा तक संभव हो सके महिला अधिकारी होगी। संरक्षण अधिकारी हर संभव मदद महिला की करेगी। संरक्षण अधिकारी पीडित महिला को उसके अधिकारो से अवगत कराती है। तथा **मुफ्त** कानूनी सहायता दिलाती है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 07, Issue 02, July 2024

सेवा प्रदाता– सेवा प्रदाता का उद्देश्य किसी विधीपूर्ण साधन के द्वारा महिलाओ के अधिकारो और हितो का संरक्षण करना है। जिसके अर्न्तगत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त पीडित महिलाओ को विभिन्न कानूनी प्रावधानो के तहत हर संभव मदद एवं उपचार किया जाता है।

धारा– 14 के तहत परामर्श दाता की सुविधा।

धारा– 16 के तहत महिला से जुडी कोई भी को बंद कमरे में सम्पन्न करना।

धारा–17 घरेलू नातेदारी में प्रत्येक को साझे घर में रहने का अधिकार प्राप्त है।

धारा–18 संरक्षण का अधिकार के तहत हर प्रकार के हिंसा से महिला को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

धारा–19 पीड़ित महिला को सुरक्षित एवं दबाव रहित निवास के लिए आदेश दिया जाता है।

धारा–20 आर्थिक/वित्तीय सहायता।

धारा–21 पीड़ित महिला के बच्चो की अभिरक्षा के आदेश आदि।

इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम का विश्लेषण करे तो पाते हैं कि उर्पयुक्त प्रावधानो के आलावा भी व्यापक प्रावधान को यह अधिनियम अपने आप में समेटे हुए है।

इस प्रकार यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।[18] अधिनियम के महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की पारिवारिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। महिलाओं के लिए बिना किसी फीस के कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी इसके अर्न्तगत किया गया गया है। यह अधिनियम बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही महिलाओ तथा विधावाओं एवं अकेले जीवन व्यतीत कर रहीं महिलाओं का भी संरक्षण करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाये गये व्यक्ति को एक साल की कैद तथा रु0 20000.00 जुर्माना का प्रावधान है।

घरेलू हिंसा के **मुख्य कारणो** का देखे तो पाते है कि मूर्खतापूर्ण मानसिकता, अशिक्षा, पितृसतात्मक सोच, विवाहेत्तर संबध, दहेज आादि बाते षामिल है । घरेलू हिंसा के **प्रभाव** के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति ने घरेलू हिंसा का सामना किया है उसको डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन है।उस व्यक्ति के उपर नकारात्मकता हावी हो जाती है। घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति मानसिक संतुलन तक खो बैठता है।घरेलू हिंसा से पीडित बच्चो और महिलाओं के सर्वेक्षण से पाया

[18]षर्मा प्रेमनरायण और विनायक वाणी 2011,'गरीबी उन्नमूलन एवं महिला सषक्तीकरण' भारत बुक सेन्टर लखनउ पृं संख्या–108

गया कि ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क का कार्पस कालोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड जाता हैं। जिससे उनकी सिखने की क्षमता, एवं विकास प्रभावित होता हैं ।

इस प्रकार देखे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनवरत प्रयास होते रहे है,। जिसका समाज में सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर है, बावजूद इसके महिला सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य अभी दूर है। समाजिक सोच को महिलाओं के प्रति और अधिक सकारात्मक और मानवीय होना पड़ेगा तथा महिलाओ से स़बधित संवैधानिक, कानूनी एवं योजनागत प्रावधानो के क्रियान्वयन को और भी ज्यादा सुदृढतम तरीके से सम्पादित किया जाए जिससे कि महिला हिसां को रोका जा सके और एक समतापूर्ण सभ्य समाज का निर्माण हो सके।

कोमल है कमजोर नही है,

शक्ति का नाम नारी है।

हे जग को जीवन देने वाली

मौत भी तुझसे हारी है।।